# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 64/2020 (2020/00158) दर्ज दिनांक 06.07.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. नाराण आत्मज प्रताप गाडरी निवासी कालाढूंढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. जैराम आत्मज किशना गाडरी
2. बालु आत्मज तुलछा गाडरी
3. मांगीलाल आत्मज मोतीलाल शर्मा

सर्व निवासी कालाढूंढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री ललित कुमार सुराणा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–11.08.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम कालाढूंढा पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 759 रकबा 0.33 हे0, 763 रकबा 0.11 हे0, 769 रकबा 0.10 हे0, 770 रकबा 0.34 हे0, 771 रकबा 0.23 हे0 कुल किता 05 रकबा 1.11 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 75 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कालाढूंढा पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 759 रकबा 0.33 हे0, 763 रकबा 0.11 हे0, 769 रकबा 0.10 हे0, 770 रकबा 0.34 हे0, 771 रकबा 0.23 हे0 कुल किता 05 रकबा 1.11 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 75 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी वतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/– ( पांच सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/– ( [illegible] ) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा [illegible] को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:41:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner